सीएसआईआर – केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
दिल्ली- मथुरा मार्ग
नई दिल्ली 110025

सं 1(690)/ 2010-पीएल दिनांक 28.10.2016

अधिसूचना

निदेशक, सीएसआईआर-सीआरआरआई ने विज्ञापन सं सीएसआईआर-सीआरआरआई/पीसी/03/जेएचटी/2015 दिनांक 05/09/2015 तथा शुद्धि-पत्र दिनांक 05/05/2016 के अनुशरण में पे बैंड - 2(पीबी-2) अर्थात ग्रेड पे रुपये 4200/- सहित रुपये 9300-34800 के वेतनमान में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के एक पद (अनारक्षित) के लिए परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में अर्हक अंक प्राप्त करने वालों (अर्थात प्रश्नपत्र 1 में 75 अंक एवं प्रश्नपत्र 2 में 75 अंक) में से, योग्यता के क्रम में निम्नलिखित पैनल का अनुमोदन किया है –

क्रमांक	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	टिप्पणी
1	20014	सुश्री अनुपमा शर्मा, सुपुत्री श्री हरि मोहन शर्मा	चयनित
2	20022	श्री योगेश चंडोला, सुपुत्र स्वर्गीय श्री मोहन चन्द्र चंडोला	प्रतीक्षा सूची - 1
3	20017	श्री मिहिर कुमार झा, सुपुत्र श्री मृत्युंजय कुमार झा	प्रतीक्षा सूची – 2
4	20008	सुश्री अर्चना सिंह, सुपुत्री श्री वशिष्ठ सिंह	प्रतीक्षा सूची - 3

2. योग्यता के क्रम में, केवल प्रथम अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा क्योंकि सीआरआरआई के उपर्युक्त विज्ञापन के द्वारा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के केवल एक पद (अनारक्षित) के लिए विज्ञापन दिया गया था। यदि चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता अथवा निर्दिष्ट तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करता अथवा कार्यग्रहण के पश्चात त्यागपत्र दे देता है तो पैनल के अगले उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा सकता है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए यह पैनल वैध होगा।

3. सीआरआरआई विज्ञापन सं सीएसआईआर-सीआरआरआई/पीसी/03/जेएचटी/2015 दिनांक 05/09/2015 तथा शुद्धि-पत्र दिनांक 05/05/2016 में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन अभ्यर्थियों को कड़ाई से करना चाहिए। अभ्यर्थी की नियुक्ति एवं अंतिम चयन उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि से संबन्धित सभी सम्पूर्ण मूल प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति तथा अन्य मदों के अंतर्गत आवेदन प्रपत्र, ई-प्रवेशपत्र आदि पर उनकी फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलेख आदि के संदर्भ में उनके पहचान के समग्र सत्यापन की शर्त पर होगी। उपर्युक्त सीआरआरआई विज्ञापन के अनुसार पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति / चयन को यह कार्यालय रद्द कर सकता है।

4. यदि बाद में कभी भी, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज़ / जानकारी असत्य / गलत पाई जाती है तो निदेशक, सीआरआरआई द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई के अलावा अभ्यर्थी का चयन उसकी नियुक्ति के बाद भी समाप्त किया जा सकता है।

5. सीएसआईआर परिपत्र पत्रांक 6(83) / 98- ओ एंड एम दिनांक 02.02.1999 के परिशिष्ट द्वारा यथा-संप्रेषित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसरण में जानकारी के लिए योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों का पैनल इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।

(वंदना डी. सिंह)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि : 1. सभी सूचना पट्ट,
✓ 2. सीआरआरआई वैबसाइट - www.crridom.gov.in

For uploading on crri website
07/11/16